

**न्यायालय:- आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
तहसील चन्देरी जिला-अशोकनगर (म0प्र0)**

**दांडिक प्रकरण क.-106 / 14
संस्थापित दिनांक- 25.02.2014**

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :-
आरक्षी केन्द्र चंदेरी जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

विरुद्ध

1. विजय पुत्र मानक चंद अहिरवार उम्र 23 साल
2. जीतू उर्फ जितेंद्र पुत्र कृष्णा अहिरवार उम्र 24 साल
निवासीगण- मीट मार्केट चंदेरी अंतर्गत
पुलिस थाना चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्तगण

-: निर्णय :-

(आज दिनांक 23.01.2017 को घोषित)

- 01- अभियुक्तगण के विरुद्ध भा0दं0वि0 की धारा 324/34 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 16.12.13 को समय 7 बजे चकला बाबडी मोहल्ला चंदेरी में फरियादी ज्ञानसिंह की मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया और उक्त सामान्य अग्रसरण में फरियादी ज्ञानसिंह को डंडा/धारदार वस्तु से मारपीट कर स्वैच्छया उपहति कारित की।
- 02- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी ज्ञानसिंह टिकिया बेचने का धंधा करता है। दिनांक 16.12.13 को पिकी का भाई विजय और उसके मामा का लडका जीतू दोनों शराब पीये हुये आये और बोले की टिकिया बनाओ जिस पर फरियादी ने कहा कि रुक जाओ बनाता हूं। तो अभियुक्तगण दारू के नशे में थे। उन्होंने फरियादी के सिर में डंडा मार दिया जिससे चोट लगकर खून निकल आया। घटना मोहल्ले वालों ने देखी थी। फरियादी फरियादी ज्ञानसिंह ने घटना की

रिपोर्ट प्र०पी० 1 पुलिस थाना चंदेरी में दिनांक 16.12.13 को 19:30 बजे की थी। जिसके आधार पर पुलिस थाना चंदेरी ने अभियुक्तगण के विरुद्ध अदम चैक क्रमांक 666/13 अंतर्गत धारा अंतर्गत धारा 323 के तहत रिपोर्ट लेखबद्ध की थी। फरियादी का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। चिकित्सीय परीक्षण में फरियादी को धारदार हथियार की चोट पाई जाने पर अभियुक्तगण के विरुद्ध पुलिस थाना चंदेरी के द्वारा असल अपराध कि कायमी करते हुए अपराध क्रमांक 21/14 अंतर्गत धारा 324, 323 भा०द०वि० के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर, प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि दिनांक 23.01.2017 को फरियादी ज्ञानसिंह ने अभियुक्तगण से राजीनामा करने वाबत् आवेदन अंतर्गत धारा 320 (2) व 320 (8) द०प्र०सं० का प्रस्तुत किया। अभियुक्त पर आरोपित धारा 324 भा०द०वि० शमनीय प्रकृति की न होने से फरियादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन अस्वीकार करते हुये, प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 320 (2), 320 (8) द०प्र०सं० के निरस्त किये गये तथा प्रकरण का विचारण किया गया।

04— अभियुक्तगण को उसके विरुद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा 313 द०प्र०सं० में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है।

05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1.	क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 16.12.13 को समय 7 बजे चकला बाबडी मोहल्ला चंदेरी में फरियादी ज्ञानसिंह की मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया और उक्त सामान्य अग्रसरण में फरियादी ज्ञानसिंह को डंडा/धारदार वस्तु से मारपीट कर स्वैच्छया उपहति कारित की।
2.	दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

06— प्रकरण में अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं हुए राजीनामे को देखते हुए अभियोजन की ओर से मात्र फरियादी ज्ञानसिंह (अ० सा० 1) व उसके पिता पूरन सिंह (अ० सा० 2) के कथन न्यायालय में कराये गये। ज्ञानसिंह आ० स० 1 का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि तीन चार वर्ष पूर्व वह चकला बावडी मोहल्ले में शाम सात बजे

टिक्की बेच रहा था तो वहां अभियुक्तगण आये और उसके साथ गाली गलौच करने लगे फरियादी ज्ञानसिंह के अनुसार अभियुक्तगण ने उसे मां बहन की गंदी-गंदी गालियां दी थी। जिसके बाद उसने घटना दिनांक को ही 8 से 9 पुलिस थाना चंदेरी में अभियुक्तगण के विरुद्ध (प्र0पी0 1) की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी जिस पर इस साक्षी ने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया।

- 07— फरियादी ज्ञानसिंह (अ0 सा0 1) के उपरोक्त कथनों को बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण में कोई चुनौती नहीं दी गई। फरियादी घटना दिनांक को फरियादी घटना दिनांक चकला बावडी मोहल्ले में टिक्की बेच रहा था और तब वहां अभियुक्तगण ने आकर उसे मां बहन की गालिया दी थी, इस संबंध में इस साक्षी के द्वारा न्यायालय में दिये गये कथनों की पुष्टि प्र0पी0 1 की रिपोर्ट से भी होती है तथा इस साक्षी के उपरोक्त कथनों को बचाव पक्ष द्वारा चुनौती न दिये जाने से इस साक्षी की उपरोक्त साक्ष्य अखण्डित है। जिससे यह तो प्रमाणित है कि घटना दिनांक को चकला बावडी मोहल्ले में अभियुक्तगण ने फरियादी के साथ गाली-गलौच की थी।
- 08— फरियादी ज्ञानसिंह (अ0 सा0 1) ने अपने न्यायालीन कथनों में अभियोजन कहानी के विरुद्ध यह कथन दिये हैं कि अभियुक्तगण गाली-गलौच कर के चले गये थे। घटना दिनांक को अभियुक्तगण ने उसके साथ मारपीट कर उसे उपहति कारित की थी इस संबंध में इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में कोई कथन नहीं दिये हैं। फरियादी ज्ञानसिंह (अ0 सा0 1) जो अभियोजन कहानी के अनुसार स्वयं आहत है, वह आरोपित अपराध के संबंध में अभियोजन का समर्थन नहीं करता।
- 09— अभियोजन का समर्थन न करने के कारण ज्ञानसिंह (अ0 सा0 1) को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी कर विस्तृत परीक्षण किया गया परंतु इस साक्षी ने आरोपित अपराध के संबंध में अभियोजन का लेषमात्र भी समर्थन नहीं किया। फरियादी ज्ञानसिंह (अ0 सा0 1) ने अपने कथनों में इस बात का स्पष्ट खण्डन किया है कि घटना दिनांक को अभियुक्तगण शराब पीये हुये थे तथा इस बात का भी खण्डन किया है कि अभियुक्तगण ने उसके सिर में किसी धारदार हथियार से चोट पहुंचाई थी। फरियादी का अपने कथनों में अभियोजन घटना के विरुद्ध यह स्पष्ट कहना है कि उसने अभियुक्तगण के विरुद्ध मात्र गाली-गलौच के रिपोर्ट कराई थी तथा अभियुक्तगण ने उसके साथ कोई मारपीट नहीं की।
- 10— फरियादी ज्ञानसिंह (अ0 सा0 1) अपने न्यायालीन कथनों में अपने सिर पर घटना के समय चोट होना तो स्वीकार करता है, परंतु फरियादी का स्पष्ट कहना है कि उक्त चोट घटना के पूर्व की थी, इसी प्रकार फरियादी ज्ञानसिंह (अ0 सा0 1) के पिता पूरन सिंह (अ0 सा0 2) ने भी अभियोजन घटना के समर्थन में कोई कथन नहीं दिया तथा इस साक्षी ने घटना की ना जानकारी होने से भी इंकार किया है। इस साक्षी के द्वारा

अभियोजन का समर्थन ना करने के कारण विस्तृत परीक्षण किया गया, परंतु अभियोजन का समर्थन ना करने के कारण इस साक्षी के कथनों से अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता।

- 11— फरियादी ज्ञानसिंह (अ0 सा0 1) व पूरन सिंह (अ0 सा0 2) ने अपने न्यायालीन कथनों में इस बात पर अभियोजन का लेशमात्र भी समर्थन नहीं किया कि घटना दिनांक को फरियादी के साथ मारपीट कर उसे धारदार हथियार से स्वच्छैया कारित की। फरियादी ज्ञानसिंह (अ0 सा0 1) घटना में आहत होते भी यह कहता है कि अभियुक्तगण ने उसके साथ कोई मारपीट नहीं की तथा उसे सिर पर पूर्व की चोट थी। वहीं फरियादी का पिता घटना की जानकारी होने से ही इंकार करता है अतः ऐसे में आरोपित अपराध के संबंध में अभियुक्तगण के विरुद्ध अभिलेख पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।
- 12— परिणामस्वरूप अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह प्रमाणित नहीं होता कि अभियुक्तगण ने दिनांक 16.12.13 को समय 7 बजे चकला बाबड़ी मोहल्ला चंदेरी में फरियादी ज्ञानसिंह की मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया और उक्त सामान्य अग्रसरण में फरियादी ज्ञानसिंह को डंडा/धारदार वस्तु से मारपीट कर स्वैच्छया उपहति कारित की।
- 13— फलस्वरूप अभियुक्तगण **विजय पुत्र मानक चंद व जीतू उर्फ जितेंद्र पुत्र कृष्णा अहिरवार** के विरुद्ध भा0दं0वि0 की धारा 324/34 के आरोप साबित नहीं होते हैं। अभियुक्तगण **विजय पुत्र मानक चंद व जीतू उर्फ जितेंद्र पुत्र कृष्णा अहिरवार** को उपरोक्त आधार पर भा0दं0वि0 की धारा 324/34 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोष मुक्त घोषित किया जाता है।
- 14— अभियुक्तगण के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे। अभियुक्तगण का धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार कर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)